



सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{30 \text{ फाल्गुन, } 1944 \text{ (श०)}}{21 \text{ मार्च, } 2023 \text{ (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 134

(1)	शिक्षा विभाग	78
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	09
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	16
(4)	समाज कल्याण विभाग	07
(5)	पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	02
(6)	ज्ञान एवं भूतत्व विभाग	02
(7)	परिवहन विभाग	15
(8)	मद्य नियेध, उत्पाद एवं नियंथन विभाग	05
कुल योग --				<u>134</u>

शिक्षकों की कमी दूर करना

*2158. श्री राम विश्वन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर एवं पीरो प्रखण्ड स्थित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी है, जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं का पठन-पाठन बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*2159. डॉ रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत हासिलपुर पंचायत के गंगा पार बरियाचक ग्राम स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवनहीन रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*2160. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)---क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखण्ड में एक भी दलित, महादलित छात्रों के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आवासीय विद्यालय नहीं है, जिस कारण दलित, महादलित गरीब समुदाय के मेधावी छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार, कबतक उक्त प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शेड निर्माण

*2161. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुथूं)---क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि अरबल जिला के कुर्था प्रखण्ड के ग्राम पंचायत, धमौल अन्तर्गत ग्राम-धमौल रविदास टोला में करीब 150 घर महादलित परिवार है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में सामुदायिक भवन एवं शेड नहीं है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोला में सामुदायिक भवन एवं शेड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2162. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ छब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक “बालू से राजस्व वसूली में छूट रहे पसीने सात जिले सबसे पीछे” के आलोक में क्या मंत्री, खान एवं भूत्तव विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के खान एवं भूत्तव विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 3,00,373 करोड़ की राशि की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 10 महीने में राज्य के औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा सहित सात जिलों में मात्र 30 प्रतिशत ही राजस्व की वसूली हो पाई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में 10 महीनों में मात्र 55 प्रतिशत ही राजस्व की वसूली हो पाई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कम वसूली के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा का भवन निर्माण

*2163. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड में स्थित मदरसा हमिदिया गेला दौड़ा एवं मदरसा सकिल अतुलबनात डलोखर का अपना भवन नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राएँ एस्वेस्टस में पढ़ने को मजबूर हैं, साथ ही शिक्षकों को पठन-पाठन कार्य में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में उक्त मदरसा का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्तीकृत मदरसा में कार्यरत कर्मियों के मात्र वेतनानुदान भुगतान हेतु सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है।

मदरसा के आधारभूत संरचना की जिम्मेवारी संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति की होती है।

दोषी पर कार्रवाई

*2164. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेषाटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के नदरपुर पंचायत के वार्ड 8 के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 158 में वर्ष 2020 में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंजन कुमारी का आँगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नियुक्त आँगनबाड़ी सेविका के प्रमाण-पत्र की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। आँगनबाड़ी केन्द्र, बहेराडीह, कोड संख्या 158, पंचायत नदरपुर, वार्ड संख्या 8, प्रखंड डोभी के सेविका पद पर चयनित श्रीमती अंजन कुमारी, पति-रूपेश मिस्त्री का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक नि0 10529, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के आलोक में सही प्रमाणित है।

उपर्युक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

स्टेडियम बनाना

*2165. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चौरेया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चौरेया प्रखंड के बाराजयराम पंचायत में स्टेडियम निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के बाराजयराम में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी तथा मेन गेट का निर्माण

*2166. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत बरौंनी प्रखंड के सहूरी पंचायत में स्थित उल्कमित मध्य विद्यालय, फुलकरी में 10 कमरों में से 03 कमरा काफी जर्जर है जिस कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है साथ ही हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तथा चहारदीवारी एवं मेन गेट के अभाव में असामाजिक तत्वों एवं पशुओं का विद्यालय में जमावड़ा बना रहता है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के जर्जर कमरों एवं चहारदीवारी तथा मेन गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

यात्रियों को सुविधा मुहैया कराना

*2167. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला मुख्यालय स्थित बेतिया से बिहार राज्य पथ परिवहन विकास निगम की जय हनुमान (य०/टी०) बस पटना के लिए प्रतिदिन रात्रि 10:20 में खुलती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बस की बॉडी लाइट सतरंगी लगाई गई है जिसका प्रतिकूल असर सीधे आँख पर पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बस के अन्दर काफी गंदगी रहती है जिसके कारण वातानुकूलित मशीन चलने पर दम घुटने लगता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बस की बॉडी लाइट सफेद कराने तथा बस के अन्दर की सफाई कराकर यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से ग्राप्ट पत्रांक 591, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अंतर्गत जय हनुमान बस बेतिया-पटना रात्रि 10:30 बजे खुलती है।

(2), (3) एवं (4) परिचालित हो रही बाहन संख्या BR06E-4511 गाड़ी में से आपत्तिजनक बॉडी लाइट को हटा दिया गया है ।

विषयांकित मामले की जाँच क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, मुजफ्फरपुर के स्तर से की गयी । क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बस परिचालक को बस को साफ-सुधरा रखने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

सेवान्त लाभ दिलाना

*2168. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि डॉ० अरविन्द प्रसाद सिंह, अमिस्टेन्ट एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर से 31 जनवरी, 2018 में सेवानिवृत्त हुए, परन्तु सेवान्त लाभ अभीतक नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पाँच वर्ष पूर्व से सेवानिवृत्त हुए डॉ० अरविन्द प्रसाद सिंह को सेवान्त लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2169. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के प्रखण्ड पचरुखी के बड़का गाँव में स्टेडियम नहीं होने से वहाँ के बच्चों का खेल-कूद के अधाव में बैंडिक विकास अवरुद्ध हो गया है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि सरकार की नीति के अनुसार बच्चों के बैंडिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास हेतु स्टेडियम के निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;
- (3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु प्रश्नाधीन गाँव में लोकहित में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शैक्षणिक व्यवस्था व्यवस्थित करना

*2170. श्री गंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के प्रियद्रत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2010 से +2 की पढ़ाई शुरू हुई परन्तु अभीतक विद्यालय को भवन नहीं एवं बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रियद्रत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आधारभूत संचरना सहित विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था कबतक व्यवस्थित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में वाई फाई उपलब्ध कराना

*2171. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के किरतपुर, गौडाबौराम एवं बिरौली प्रखण्डों के स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में वर्ष 2021 में वाई फाई लगवायी गई है जो उक्त प्रखण्डों के 99 प्रतिशत विद्यालयों में वाई फाई कार्य नहीं कर रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों में वाई फाई अनवरत चालू कराने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*2172. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखण्डान्तर्गत लालपुर, हाई स्कूल में पर्याप्त भवन नहीं हैं एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक हाई स्कूल के भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षारोपण कराना

*2173. श्री विद्या सागर के शरीर (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)---क्या मंत्री, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा सहित राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों में सड़कों के दोनों तरफ मनरेगा या अन्य योजनान्तर्गत पेड़ लगाये जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़कों के चौड़ीकरण के समय पूर्व में सड़क किनारे लगाये गये युवा वृक्ष को काट दिया जाता है, जिससे जलवायु एवं पर्यावरण प्रभावित होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क किनारे लगाने वाले पेड़ के भविष्य को ध्यान में रखते हुये एक निश्चित दूरी पर वृक्षारोपण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2174. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 53 (तिरेपन) प्राथमिक विद्यालय भूमिहीन हैं जिसके कारण पठन-पाठन का कार्य सुचारू ढांग से नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय के लिये भूमि अधिग्रहण कर विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*2175. अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)---स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 को ख्रेकाशित शीर्षक "प्रदेश में अवैध ईंट भट्ठों से नहीं हुयी 61 करोड़ की वसूली" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खनन् एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पटना, बांका, भागलपुर, कैमूर, नालंदा एवं अन्य जिलों में वर्ष 2020-21 में 3103 ईंट भट्ठे थे, जिसमें 2906 बिना अनुमति ही संचालित हो रहे थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिना अनुमति के संचालित 2906 ईंट भट्ठों के कारण 61 करोड़ राजस्व की क्षति हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति

*2176. श्रीमती नीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के 1127 संबंध एवं अनुदानित मदरसों में 03 विज्ञान शिक्षकों अर्थात् कुल 3300 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 31 जुलाई, 2019 को दैनिक, समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके संबोधित मदरसों की प्रबंध समिति को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद अबतक संबोधित मदरसों में विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार संबोधित मदरसों में विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन एवं शेड का निर्माण

*2177. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))---क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुवापुर प्रखण्ड में दलितों के लिये सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण हेतु 8 जगह स्वीकृत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक एक भी सामुदायिक भवन तैयार नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सामुदायिक भवन एवं शेड का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण करना

*2178. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हायाघाट प्रांतिविधि हरिहरपुर, बहेढ़ी प्रखंड के चकवा भड़वारी पंचायत के प्रांतिविधि मानोपुर, रामाविधि, जोरजा एवं हरहच्चा के उत्क्रमित मध्य विधि, दढ़रवाड़ा विद्यालयों के पास अपना जमीन एवं भवन नहीं है जिसके कारण छात्र/छात्राएँ बरामदे एवं पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्धित प्रखंडों के विद्यालयों की जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2179. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चौरैया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चौरैया प्रखंड के सिरौना पंचायत के जगनारायण साह हाई स्कूल के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय खोलना

*2180. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्षसौल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के आदापुर प्रखंड अन्तर्गत औरेया पंचायत कटठरिया गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बच्चे/बचियों को पढ़ने के लिये लगभग 5 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्धित गाँव में कबतक प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निवंधन कार्यालय का स्थानांतरण

*2181. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, मध्य निधेध, उत्पाद एवं निवंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गदा जिलान्तर्गत वर्तमान में अवस्थित अवर निवंधन कार्यालय, शेरघाटी में निवंधन कराने आये लोगों के द्वारा काफी भीड़ होने के कारण प्रतिदिन यातायात असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाटी प्रखण्ड कार्यालय में परिसर बड़ा होने के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में कई कमरे भी उपलब्ध हैं ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक निवंधन कार्यालय को शेरघाटी प्रखण्ड, कार्यालय परिसर में स्थानांतरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अवर निवंधन कार्यालय, शेरघाटी (गया) के कार्यालय परिसर में निवंधन कराने आये लोगों के लिये एवं वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

(2) प्रखण्ड कार्यालय शेरघाटी से संबंधित।

(3) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में अवर निवंधन कार्यालय, शेरघाटी (गया) निवंधन विभाग की अपनी भूमि पर निर्मित भवन में सुचाल रूप से कार्यरत है। आमजन की सुविधा हेतु कार्यालय भवन के सभी कमरों में प्रतिदिन सुचाल रूप से कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। इसलिये प्रखण्ड कार्यालय, शेरघाटी में अवर निवंधन कार्यालय, शेरघाटी को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भवन का पुर्निमाण

*2182. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली को कनहौली पंचायत में स्थित उत्कमित उच्च विद्यालय में अभी मात्र 02 कमरा ही है जो जर्जर है जिस कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है साथ ही भवन जर्जर होने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार छात्र/छात्राओं के अनुपात में पर्याप्त वर्गकक्ष के साथ-साथ भवन का पुर्निमाण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय (बी०एम०सी०) मकान में नये कमरे का निर्माण

*2183. श्रीमती बीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर निगम अन्तर्गत बांड नं० 01 में एक प्राथमिक विद्यालय (बी०एम०सी०) मकान स्थित है जो जर्जर स्थिति में रहने के कारण प्राथमिक विद्यालय कन्या उदू मकान के साथ टैक कर दिया गया है, है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में नये कमरे बनवाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की नियुक्ति

*2184. श्री अमरजीत कुशवहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादई) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत जीरादई विधान सभा के प्रखंड मैरवा नौतन तथा जीरादई विधान सभा के प्रखंड मैरवा नौतन तथा जीरादई में पंचायतवार उत्कमित एवं अन्य उच्च विद्यालय स्थित है जिसमें छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु शिक्षकों का वर्गनुसार एवं विषयानुसार नियुक्ति नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार वर्षित पंचायतवार उच्च विद्यालय में वर्गनुसार एवं विषयानुसार शिक्षक की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*2185. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ प्रखंड अन्तर्गत +2 उच्च विद्यालय, सिंधाड़ा तथा चेहराकला प्रखंड अन्तर्गत +2 उच्च विद्यालय, पंचायत बखरी दोआ का भवन जर्जर है एवं सुरक्षा के लिये चहारदीवारी नहीं है, जिससे छात्र/छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उपर्युक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*2186. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा) -- क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग के प्रावधान के आलोक में पंचायत में

सरकारी बस स्टैण्ड बनाने का प्रावधान किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नालन्दा जिला के प्रखंड एकांगरसराय के मण्डाछ पंचायत के मुख्यालय मण्डाछ से राजभानी पटना को सीधा समर्क स्थापित करने हेतु सरकारी बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निष्पादन करना

*2187. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर) -- क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर, सिध्वलिया एवं बरौली प्रखंड के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर निर्धन वृद्ध, विधवा एवं अन्य पात्राएं रखने वाले व्यक्तियों का समाजिक सुरक्षा पेंशन/अन्य पेंशन नहीं बन रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर निर्धन वृद्ध, विधवा एवं अन्य पात्राएं रखने वाले व्यक्तियों ने पेंशन हेतु आवेदन दिया है जो विभाग में अत्याधिक समय से लौबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखंडों के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर निर्धन वृद्ध, विधवा एवं अन्य पात्राएं रखने वाले व्यक्तियों के आवेदनों का निष्पादन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष की कमी को दूर करना

*2188. श्री अली अशरफ सिहीकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान सभा क्षेत्र के उर्दू मध्य विद्यालय, कुण्डी, उर्दू प्राथमिक विद्यालय, दोगच्छी एवं प्राथमिक विद्यालय, जगदीशपुर हरिजन टोला में वर्ग कक्ष की कमी के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त विद्यालयों में वर्ग कक्ष की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा शुरू करना

*2189. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड) -- क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढी जिला के पुपरी अनुमंडल से पटना तक सरकारी बस सेवा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में इस मार्ग के लिये बस सेवा की शुरूआत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- विहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से प्राप्त पत्रांक 672, दिनांक । मार्च, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निगम द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत पुपरी से पटना तक बसों का परिचालन किया जा रहा है । निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है । बस बेड़े में बसों की वृद्धि होने पर उक्त मार्ग पर निगम बसों के परिचालन हेतु विचार किया जायेगा ।

खेल का मैदान बनाना

*2190. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 विस्फो)---क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के ग्राम पंचायत, लदौरा में कन्या विद्यालय है जहाँ खेल का मैदान नहीं रहने से उक्त पंचायत के छात्र-छात्राओं एवं खेलाड़ियों को खेलने में काफी असुविधा होती है, जबकि उस जगह सरकारी जमीन है जिसका खाता नम्बर 1474, खेसरा नम्बर 1619 एवं 1620 तथा रकवा 15 (पन्द्रह) कट्ठा है, यदि हाँ, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रखंड में एक आठटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, जारंग में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 249, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 394, दिनांक 17 नवम्बर, 2020 द्वारा दी जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है।

निर्माण कार्य पूर्ण करना

*2191. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 इमराँव)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के मड़ियाँ +2 उच्च विद्यालय तथा सोनवर्ड +2 उच्च विद्यालय सहित अन्य कई +2 उच्च विद्यालयों में +2 कक्षाओं के लिये भवन का निर्माण कार्य कई बर्षों से अधूरा पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवनों के निर्माण हेतु राशि की पूरी निकासी हो चुकी है अपूर्ण भवन जर्जर होते जा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवनों के अधूरे निर्माण के लिये दोषी पर कार्रवाई तथा भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2192. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज चखनी रजवटिया के प्राथमिक विद्यालय अगरहिया एवं ग्राम पंचायत, राज चंद्रपुर रत्वल के प्राथमिक विद्यालय, बकवा रेता बिना भवन के संचालित हो रहे हैं, जिस कारण बच्चों के पठन-पाठन में काफी कठिनाइयाँ होती हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का उत्क्रमण

*2193. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिंहि (अ0ज10))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूरी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिंहि प्रखंड के ग्राम पंचायत बैरियाडीह स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, बैरियाडीह में छात्रों की संख्या एक हजार के करीब है, उक्त पंचायत में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छात्रों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्कूल को 10+2 में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन प्रारंभ करना

*2194. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत में 1945 ई0 में 40 एकड़ भूमि पर स्थापित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक एवं प्राचार्य के आभाव में बंद पड़ा है जिससे भवनों की स्थिति जर्जर एवं खंडरनुमा हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी 11 राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षक एवं प्राचार्य का अभाव है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक फारबिसगंज प्रखंड के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, मटियारी का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने के साथ-साथ सभी राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षक एवं प्राचार्य नियुक्त कर पठन-पाठन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टीम गठित करना

*2195. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा दीर्घकालीन और सड़क सुरक्षा नीति बनाने एवं रिपोर्टिंग और मानिटरिंग का कार्य करने का कार्य सही तरीके से नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने में असफल पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने तथा जिलावार सड़क सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु फॉर्मेसक जौंच टीम गठित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण करना

*2196. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परवता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खण्डिया जिलान्तर्गत गोगरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मुश्कीपुर में भवन की कमी के कारण पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिये आवंटन राशि दो वर्ष पहले जमीन संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं होने की वजह से वापस हो गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी गोगरी द्वारा विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पौँच कट्टा जमीन उपलब्ध करा दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान बनाना

*2197. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी नगर पंचायत में सरकारी जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद एक भी खेल का मैदान नहीं रहने से यहाँ के बच्चों तथा छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खगड़िया के मानसी नगर पंचायत में खेल मैदान बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिला अंतर्गत मानसी प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग जिला पदाधिकारी, खगड़िया से विभागीय पत्रांक 284, दिनांक 7 मार्च, 2023 द्वारा की गयी है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

छात्रावास बनाना

*2198. श्री विश्व नाथ गम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ० जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड राजपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए छात्रावास नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखण्ड राजपुर में जमीन का अधिग्रहण कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन की कमियों को दूर करना

*2199. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखण्ड के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर दुबौलिया में वर्ष 2015 में नवनिर्मित भवन का निर्माण कराया गया है को पांच साल बाद भी विद्यालय को हस्तांतरित नहीं किया जा सका है जिसके कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित है, जिसका छत भी बरसात के समय चू रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नवनिर्मित भवन की कमियों को दूर करते हुए भवन का हस्तांतरित विद्यालय को करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोड आवंटन कराने

*2200. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरीनी प्रखण्ड के सहुरी पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहुरी +2 का कोड आवंटन नहीं हुआ है जिससे उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश को उर्त्तीनाता के बाद आगे की पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय को +2 (इन्टरमीडिएट) का कोड आवंटन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2201. श्री गंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिला) --क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सतर कट्टैया प्रखण्ड के प्रियव्रत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का स्टेडियम नहीं है जिसके कारण मेधावी खिलाड़ियों को अपने कला के प्रदर्शन से वर्चित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरे का निर्माण

*2202. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपटटी)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड-बोखड़ा में मदरसा दारूल ओलूम गुलशाने बगदार सिंधाचैड़ी में 500 की संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बच्चों की संख्या के अनुसार मदरसा में कमरा (भवन) का अभाव है जिसके कारण उक्त मदरसा में बच्चों को काफी कठिनाई होती है। यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसा में कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्त्रीकृत मदरसा में कार्यरत कर्मियों के मात्र बेतनानुदान भुगतान हेतु सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है।

मदरसा के आधारभूत संरचना की जिम्मेवारी संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति की होती है।

कार्रवाई करना

*2203. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)---क्या मंत्री, मध्य निवेद, उत्पाद एवं निवंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी बात सही है कि अरवल जिला के कस्बों से लेकर गांव तक नौजवानों में इग्स की बुरी लत तेजी से बढ़ रही है जो समाज के लिए घातक है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जिला के कस्बा से लेकर गांव तक इग्स की तस्करी एवं नौजवानों में इसका प्रभाव रोकने और इग्स माफियाओं पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

'क'--*2204. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आगरा)---स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "आठ साल चली पांच करोड़ की बॉल्डो, नट बोल्ड बिगड़ा, तो छः साल से खा रही जंग" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2008 एवं 2009 के बीच कुल चार बॉल्डो-बस पांच करोड़ की लागत से खरीद की गयी थी एवं वर्ष 2013 में भी करोड़ों रुपये की लागत के चार बसों की खरीदारी की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बसों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए चौदह कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गयी थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि निगम द्वारा खरीदी गयी बसें वर्ष 2018 से ही कबाड़ के रूप में गैरेज में खड़ी हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर इसके लिए जिम्मेदार विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

नोट--'क'-परिवहन विभाग से पर्यटन विभाग में स्थानांतरित ।

विद्यालयों का निवंधन

*2205. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिस्सा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नवादा जिला में लगभग 150 निजी विद्यालयों का नियमानुसार निवंधन एवं नवीकरण का कार्य दिसम्बर, 2022 तक हो जाना चाहिये था, जो अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार निजी विद्यालयों के निवंधन/नवीकरण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फर्नीचर उपलब्ध कराना

*2206. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र के झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर प्रखण्ड में उत्कृष्ट माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय यथा झंझारपुर के सिमरा, लखनौर के दीप पश्चिमी एवं मधेपुर प्रखण्ड के परवलपुर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैच, डेस्क एवं फर्नीचर की उपलब्धता नहीं रहने से विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैच, डेस्क एवं फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा

*2207. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्दर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में पौंछ लाख रुपये सरकारी मुआवजा सरकार के द्वारा दी जाती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले के आश्रितों के भरण पोषण का एकमात्र सहारा थी सरकारी मुआवजा जिसे सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले मृतक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । परिवहन विभाग की गजट संख्या 683, दिनांक 11 अगस्त, 2021 एवं 684, दिनांक 11 अगस्त, 2021 के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित/उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है।

(2) एवं (3) आंशिक स्वीकारात्मक । परिवहन विभाग की गजट संख्या 683, दिनांक 11 अगस्त, 2021 एवं 684, दिनांक 11 अगस्त, 2021 के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित/उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है।

CWJC संख्या 3362/2022 रेणु देवी बनाम विहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को पारित आदेश द्वारा परिवहन विभाग की गजट सं० 683 एवं 684, दिनांक 11 अगस्त, 2021 तथा आम सूचना दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को Operation को Stay कर दिया गया है। फलस्वरूप मृतकों के परिजनों को मुआवजा की राशि का भुगतान सम्प्रति नहीं किया जा रहा है।

कार्रवाई करना

*2208. श्री अरुण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "वर्षों पुरानी सचिवदानंद सिंहा लाईब्रेरी को है तारणहार का इंतजार" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सचिवदानंद सिंहा लाईब्रेरी, पटना का निर्माण कार्य 1922 से प्रारम्भ

होकर 1924 में पूरा हुआ था, तथा पुस्तकालय का संचालन और प्रबंधन ट्रस्ट के द्वारा होता है, ट्रस्ट के देख-रेख में अनुदान द्वारा पुस्तकालय का संचालन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कर्मियों की कमी एवं राशि के अभाव में पुराने अखबारों का डिजिटाइज करने का कार्य तथा कर्मियों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जबकि तीन सौ से अधिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले दैनिक पाठक हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पुस्तकालय के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*2209. श्री गण रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मध्यवन)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला के डुमरी, कटसरी प्रखंड के मकसुदपुर, कररिया पंचायत के वार्ड नं 01, 02 एवं 04 अतिपिछड़ा समुदाय लोगों की बड़ी आबादी बसती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मकसुदपुर, कररिया पंचायत के वार्ड नं 01, 02 एवं 04 में एक भी आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के वार्ड नं 01, 02 एवं 04 में आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रपारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शिवहर का पत्रांक 187, दिनांक 02 मार्च, 2023 के अनुसर वार्ड सं 01 एवं 04 में सामान्य वर्ग की बाहुल्यता है। वार्ड सं 02 में अतिपिछड़ा वर्ग की बाहुल्यता एवं दूसरी बड़ी आबादी सामान्य वर्ग की है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। मकसुदपुर, कररिया पंचायत के वार्ड सं 02 में आँगनबाड़ी केन्द्र सं 38 स्वीकृत एवं संचालित है तथा शेष वार्ड सं 01 एवं 04 में आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

(3) वर्तमान में वार्ड सं 01 एवं 04 के लाभार्थियों को बगल के केन्द्र से टैग कर टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म-मृत्यु पंजीकरण एवं आधार पंजीकरण का लाभ दिया जा रहा है।

भारत सरकार से अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर सरकार आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है।

विद्यालय भवन का निर्माण

*2210. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौदी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पठन जिलान्तरी धनरूपा प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय, रेडीबिंगहा, प्राथमिक विद्यालय जहानपुर, पाकड़तर, असरफरगंज कॉलोनी, सतपरसा, मंझौली, बुलाकी बिंगहा, मखदुमपुर, कुकुरवारा, बरविंगहा, लोटकी धमौल, हुल्लासमचक । एवं प्राथमिक विद्यालय, सिमरी का विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों का भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर संचालित किया जा रहा है, जिससे छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है और बच्चों को विद्यालय जाने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मैदान एवं चहारदीवारी बनवाना

*2211. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना साहिब विधान सभा में राजकीय उच्च विद्यालय, पटना सिटी स्थित है जिसका मैदान खेलने योग्य नहीं है और न ही उक्त मैदान की चहारदीवारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं जिन्हें मैदान की खारब स्थिति के कारण खेल-कूद की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय उच्च विद्यालय, पटना सिटी के मैदान को खेलने योग्य बनाने एवं चहारदीवारी करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*2212. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महांआ) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महांआ प्रखण्ड अन्तर्गत +2 मिर्जानगर हाई स्कूल का भवन जर्जर एवं चहारदीवारी नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की व्यवस्था कराना

*2213. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहाँ (अ०जा०)) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहाँ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड बोचहाँ एवं मुशहरी 35 (पैंतीस) उच्च विद्यालय हैं लेकिन विषयानुसार एवं वर्गानुसार किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, जबकि अन्य विद्यालय में है (1) मुखर्जी सेमीनरी विद्यालय नगर क्षेत्र, (2) डी०एन० उच्च विद्यालय नगर क्षेत्र, छात्र के अनुपात से शिक्षक अधिक है, यदि हाँ, क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्र के अनुपात में शिक्षक की व्यवस्था कबतक कराने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2214. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भूमा) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के चांद प्रखण्ड के सिलौटा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जमीन का स्थानीय लागों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तथा चहारदीवारी नहीं होने के कारण लावारिश पशु एवं असामाजिक तत्व विद्यालय में प्रवेश करते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निवंधन पुनः बहाल करना

*2215. श्री संजय सरावणी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा) -- क्या मंत्री, मध्य निवेद, उत्पाद एवं निवंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसी भी संस्था का निवंधन रद्द करने की शक्ति महानिरीक्षक निवंधन, विहार में निहित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन का निबंधन मद्द निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या 79, दिनांक 28 जनवरी, 2023 द्वारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक, विहार पटना द्वारा हस्ताक्षरित आदेश से रद्द कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के निबंधन को पुनः बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2216. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बलरामपुर प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रत्येक प्रखंडों में एक स्टेडियम का निर्माण कराना अनिवार्य कर दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलरामपुर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2217. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज विधान सभा क्षेत्र के पालीगंज हाई स्कूल की चहारदीवारी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण सड़क और बाजार की गंदरी विद्यालय के प्रांगण में जमा हो जाती है तथा स्कूल भी असुरक्षित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार पालीगंज हाई स्कूल की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसोईया को आशा कार्यकर्ता की भाँति साड़ियाँ देने का विचार

*2218. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विहार राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु कुशल रसोईया को मानदेय पर रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी आशा कार्यकर्ताओं को साल में तीन साड़ी देने की व्यवस्था है कि तरह रसोईया को तीन साड़ी नहीं दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी रसोईया को आशा कार्यकर्ता को भाँति तीन साड़ियाँ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रधारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है । संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पत्र सं० D.O.No. 10-8/2012 EE-5 (MDM-1-2) dated 11 सितम्बर, 2012 में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में रसोईया-सह-सहायक का कार्य अंशकालीन (Part time worker) माना गया है । विद्यालयों में कार्यरत रसोईया-सह-सहायकों द्वारा मात्र दोपहर का भोजन तैयार कर बच्चों के बीच वितरण किया जाता है । इनका कार्य कुशल श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता है ।

(2) स्वीकारात्मक । रसोईया-सह-सहायकों को साड़ी देने हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है ।

(3) सरकार के स्तर से सम्प्रति साड़ी देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सौन्दर्योक्ति करना

*2219. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)---क्या मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के वैशाली स्थित अनिवेक पुष्पकरणी झील के चारों तरफ काफी खाली जमीन है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त झील के चारों तरफ खाली पड़े जमीन का सौन्दर्योक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का उत्क्रमित

*2220. श्री रणविजय साह (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, सारंगपुर, पश्चिमी गोपालपुर मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित होने की सभी अहंताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बेतन अंतर राशि का भुगतान

*2221. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सी0डब्ल्यूजेसी0 14918/2019 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 1994 में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ट्रैंड बेतनमान दिया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 8441, दिनांक 3 नवम्बर, 2022 द्वारा चिह्नित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को लाभार्थी का संशोधित मूल बेतन विवरणी तैयार कर उन्हें भुगतान का निर्देश जारी किया गया है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, फुलवारीशरीफ में पत्रांक 42/5 फरवरी, 2020 के द्वारा डी०पी०ओ०, पटना को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खडिहा के स्नातक शिक्षक से संबंधित उपलब्ध कराये गये बेतन अंतर राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*2222. श्री हरीभूषण ठाकुर “बचोल” (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)---क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्रखंड बिस्फी के नाहस खंगरैठा में स्टेडियम का निर्माण अधूरा पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में लम्बित स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 109/जिवि०, दिनांक 21 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्रखंड बिस्फी के उच्च विद्यालय, नाहस खंगरैठा में स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। विभागीय पत्रांक 1098, दिनांक 29 जुलाई, 2022 द्वारा उक्त स्टेडियम को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित प्रावक्कलन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 988 जिवि०, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 द्वारा उच्च विद्यालय, खंगरैठा, बिस्फी एवं जै०सी०क०००ए००० उच्च विद्यालय, खाजेडीह, लद्दनिया में स्टेडियम निर्माण का पुनरीक्षित प्रावक्कलन स्वीकृत हेतु सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को फेजा गया है, जो अबतक अप्राप्त है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करना

*2223. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तिरो मारो भागलपुर विश्वविद्यालय, का मुरारका महाविद्यालय, सुलतानगंज एक प्रतिष्ठित अंगीभूत इकाई है जिसमें अभीतक कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को परेशानी होती है, कॉमर्स की पढ़ाई हेतु प्रस्ताव अभियोग एवं सीनेट से वर्ष 2021 में पारित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मुकारका कॉलेज, मुलतानगंज जिला भागलपुर में कॉमर्स पढ़ाई की व्यवस्था कर पढ़ाई चालू करना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाना

*2224. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तारापुर विधान सभा अन्तर्गत भुना पंचायत के कलई ग्राम में मध्य विद्यालय, कलई स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्ति हेतु लगभग 5 किलो मीटर की दूरी पर स्थित उच्च विद्यालय जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सूचीकरण कराना

*2225. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीराडें) -- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय, रामपुर, बड़हरिया को उत्क्रमित इंटर कॉलेज का कोड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उच्च माध्यमिक, पटना द्वारा प्रदान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त इंटर कॉलेज में विज्ञान संकाय में 15 तथा कला संकाय में 3 छात्र-छात्रा द्वारा नामांकन लिया गया है, परन्तु मानवीय भूलवश समस्य नामांकन पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण छात्रों का सूचीकरण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त 18 छात्र-छात्राओं की भविष्य को ध्यान में रखते हुये सूचीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास शिप्ट करना

*2226. श्री मनोज मर्जिल (क्षेत्र संख्या-195 अग्रिमाव (अ०जा०)) -- क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत डॉ० अम्बेडकर कल्याण छात्रावास (चौंदी लॉज), आरा जर्जर और जानलेवा हो चुका है, सरकार इसे 1990 में ही परिष्कृत घोषित कर चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आरा में ही डॉ० अम्बेडकर कल्याण छात्रावास-2, कतिरा, पुराना भवन खाली है, बावजूद इसके चौंदी लॉज के छात्रों को उसमें शिप्ट नहीं किया जा रहा है, इसके लिये छात्रों ने आमरण अनुशासन किया था जिसके बाद अधिकारियों ने 7 दिन के अंदर शिप्ट कराने का वायदा किया था लेकिन अभीतक शिप्ट नहीं कराया गया ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जर्जर हो चुके चौंदी लॉज के छात्रों को खाली पड़े डॉ० अम्बेडकर कल्याण छात्रावास-2, कतिरा, आरा में शिप्ट कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन कराना

*2227. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी) -- क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के कम्तौल, टेकटार, सिरहुली, पिंडारूच, मुहम्मदपुर, माधेपट्टी, कर्जापट्टी, बरिऔल, शिशो भाया भज्जी होते हुये जिला मुख्यालय दरभंगा एवं लहोरियासराय प्रतिविन छजारों संख्या में लाग काम करने आते हैं, जिन्हें सकारी बस परिचालन के अधिकार में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाधिक किराया वसूली के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर सरकारी बस परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पूर्व के निबंधन कार्यालय से जोड़ना

*2228. श्री लखेंद्र कुमार रीशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपर (अ० जा०))--क्या मंत्री, मध्य निधेंद्र, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखण्ड में विभाग के पत्रांक 57/22, दिनांक 16 मार्च, 2022 के आलोक में नया निबंधन कार्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें जदाहा प्रखण्ड के चार पंचायत लक्ष्मीपुर, बरबटा, अदलपुर, मानसिंहपुर, बिझरौली एवं नाड़ी खुर्द को जोड़ा गया है, जिससे इन पंचायतों की निबंधन से दूरी 40 किलो मीटर की है जबकि पूर्व में इन पंचायतों का निबंधन कार्यालय महुआ में थी जिसकी दूरी लगभग 12 किलो मीटर की है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन पंचायतों को पूर्व के निबंधन कार्यालय, महुआ में ही जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 4059, दिनांक 12 जून, 2022 द्वारा वैशाली जिलान्तर पातेपुर अंचल में स्थायी रूप में एक नया अवर निबंधन कार्यालय, पातेपुर का सृजन किया गया है।

आशिक स्वीकारात्मक। जन्दाहा प्रखण्ड के 23 राजस्व ग्रामों में लक्ष्मीपुर-बरबटा, अदलपुर, मानसिंहपुर, बिझरौली एवं नाड़ी खुर्द पंचायत भी सम्मिलित हैं।

क्र0सं0	पंचायत का नाम	नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय, पातेपुर से दूरी (कि०मी०)	पूर्व से निबंधन कार्यालय, महुआ से दूरी (कि०मी०)
1	लक्ष्मीपुर-बरबटा	लगभग दूरी 28 से 30 कि०मी०	लगभग दूरी 7 से 8 कि०मी०।
2	अदलपुर	लगभग दूरी 20 से 22 कि०मी०	लगभग दूरी 18 से 20 कि०मी०।
3	मानसिंहपुर, बिझरौली	लगभग दूरी 16 से 18 कि०मी०	लगभग दूरी 20 से 22 कि०मी०।
4	नाड़ी खुर्द	लगभग दूरी 12 से 14 कि०मी०	लगभग दूरी 20 से 22 कि०मी०।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि लक्ष्मीपुर-बरबटा पंचायत की दूरी नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय, पातेपुर से बढ़ी है, परन्तु अदलपुर पंचायत से दूरी लगभग समान है तथा मानसिंहपुर, बिझरौली एवं नाड़ी खुर्द पंचायत की दूरी कम हुयी है।

वस्तुस्थिति यह है कि नये अवर निबंधन कार्यालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पूर्व में स्थापित निबंधन कार्यालय का कार्यभार कम किया जाना है तथा आम जनता को कम समय में दस्तावेजों का निबंधन सम्पन्न किया जाना है। इस प्रकार यदि नये कार्यालय में सम्मिलित कुछ पंचायतों की दूरी पुराने कार्यालय से अधिक भी है तो इनका कार्य शीघ्रता से सम्पन्न किया जाता है तथा इससे आम जनता लाभान्वित हो रही है।

पातेपुर अंचल मुख्यालय में नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का आकलन भौगोलिक दृष्टिकोण से समीपवर्ती क्षेत्र एवं निबंधनार्थी को आने-जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के ज्ञापांक 324, दिनांक 5 मार्च, 2022 के आलोक में तथा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महुआ एवं संवैधित अंचलाधिकारी द्वारा नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किये जाने का प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में किया गया है।

नवसृजित अवर निबंधन कार्यालय, पातेपुर एवं निबंधन कार्यालय, महुआ के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

कार्रवाई करना

*2229. श्री अरुण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खौली)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विधानीय शिक्षा स्वीकृत आदेश के आलोक में अनुदानित विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को लाभुक आधारित योजना की राशि दिये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री दिनेश चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी तत्कालीन की (छियासठ लाख अंतानवे हजार तीन सौ रुपये) की राशि गैर-अनुदानित विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जो प्रावधान के विपरीत है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस संबंध में वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली ने अपने पत्रांक 155, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा, विहार सरकार, पटना को प्रतिवेदित किया। जिसे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना ने अपने पत्रांक 636, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी से स्पष्टीकरण पूछते हुए, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 तक जवाब देने का आदेश दिया परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रावधान के विरुद्ध राशि का दुरुपयोग करने वाले जिला पदाधिकारी, मधुबनी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की प्रतिनियुक्ति

*2230. डॉ) निककी हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटारिया (आ) जा(जा))---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाका जिला अतिरिक्त कटारिया प्रखंड में प्रान्त मध्य विद्यालय, दुखनसार एवं प्रान्त मध्य विद्यालय, कानीबेल में कक्षा । से 8 तक की शैक्षणिक कार्य किया जाता है, छात्र-छात्राओं को संख्या क्रमशः 262 तथा 296 है, उक्त दोनों विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु मात्र 02 शिक्षक हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने हेतु शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, नहीं, तो क्यों ?

फ्रीशीप कार्ड जारी करना

*2231. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)---क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग यह बतलाने को कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना हेतु केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश 2021 जारी करते हुए 40 प्रतिशत राज्य और 60 प्रतिशत केंद्र द्वारा फॉडिंग पर्टन का प्रावधान किया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को किसी भी शिक्षण संस्थान में निःशुल्क नामांकन एवं अध्ययन के लिए फ्रीशीप कार्ड देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत विहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फ्रीशीप कार्ड मुहूर्या नेहों करताया जा रहा है जिससे यहाँ के छात्र उच्च शिक्षा में जाने से विचित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फ्रीशीप कार्ड जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2232. श्री मनोज मजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव (आ) जा(जा))---क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम बनवाने का प्रावधान है :

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तरित प्रखंड अगिआंव और चरपोखरी में कोई स्टेडियम नहीं है, जिसके प्रखंड अगिआंव के पवना हाई स्कूल की जमीन स्टेडियम के लिए उपलब्ध है तथा चरपोखरी में स्टेडियम के लिए ब्लॉक परिसर की जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदानों को स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचना की व्यवस्था

*2233. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बैगूसराय जिलान्तरित जौहाडी कॉलेज में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विस्तार केन्द्र के उद्घाटन 12 जुलाई, 2016 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री, विहार सरकार द्वारा किया गया परतु विस्तार केन्द्र के लिए मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना के कार्य अवलोकन नहीं किया गया है और इसकी वैधानिकता अभीतक प्राप्त नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को अंकपत्र, मूल-प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण में सुधार हेतु 125 किलो मीटर दूर दरभंगा जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जौहाडी कॉलेज, बैगूसराय में उद्घाटित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विस्तार केन्द्र में मानव संसाधन रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2234. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखण्ड स्थित राह उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवाजीनगर के परिसर के पीछे विद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*2235. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 5418 भूमिहीन विद्यालय बंद होने के कागार पर है, को जमीन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक शिक्षा के अधिकार के तहत बंद के कागार पर पहुँच चुके भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध करावाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2236. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखण्ड के प्रखण्ड मुख्यालय-सह-नगर पंचायत का मुख्यालय बारसोई में स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बारसोई प्रखण्ड-सह-नगर मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2237. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बैगुसाय जिला अन्तर्गत डडारी प्रखण्ड के कटरमाला उत्तरी पंचायत स्थित ड०मा०+२ विद्यालय, सिसौनी की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ लगा रहता है, जिसके कारण विद्यालय की पठन-पाठन व्यवस्था बाधित होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ड०मा०+२ विद्यालय, सिसौनी की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विकास मित्रों के मानदेय की बढ़ोतारी

*2238. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-९ सिकटा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में गरीबों, दलितों के उत्थान के लिये बिहार महादलित विकास मिशन योजना के तहत विकास मित्र कार्य कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले आठ वर्षों से विकास मित्रों के मानदेय में कोई बढ़ोतारी नहीं की गयी है, जिसके कारण उनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विकास मित्रों के मानदेय में बढ़ोतारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2239. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद् अन्तर्गत बार्ड नं० ७ के कस्बे आहर स्थित प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं है जिसके कारण विद्यालय को बार्ड नं० ११ स्थित कन्या मध्य विद्यालय से जोड़ दिया गया है, जिससे छोटे बच्चों को पढ़ाई में काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कस्बे आहर में जमीन उपलब्ध रहने के बाद भी प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्धित विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समायोजित करना

*2240. श्री सर्वकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के शिक्षा विभाग अन्तर्गत जन-शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम में प्रेरक और समन्वयक को वर्ष 2018 के बाद हटा दिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में वर्ष 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुदेशक और प्रवेशक को विधिन विभागों में समायोजित किया गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सात वर्षों तक साक्षर भारत कार्यक्रम में सेवा देने वाले प्रेरकों और समन्वयकों को शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में समायोजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2241. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिंह (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिंह प्रखण्ड के मानिकपुर पंचायत में गांडू० मध्य विद्यालय, सरेया ब्रह्मोली में लगभग 500 छात्र हैं, जिसमें 80 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के पढ़ते हैं, संख्या बल के अनुसार कक्षा की संख्या कम रहने से बच्चे की पढ़ाई तथा चहारदीवारी नहीं रहने से अतिक्रमणकारी द्वारा उपदेश करने के कारण पठन-पाठन बाधित रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षण कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण करना

*2242. श्री अरुण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के काराकाट प्रखण्ड के देव पंचायत में वार्ड सं० ५ देव, वार्ड संख्या ७ योजनाहार, वार्ड संख्या ३ देव में संचालित आँगनबाड़ी का अपना आँगनबाड़ी भवन नहीं होने के कारण अन्यत्र भवन में केन्द्र को संचालित किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्यत्र केन्द्र संचालित करने से मनमाने ढांग से किराये वसूल किया जाता है, या लाभकारी का हिस्सा से किराये का भरपाई किया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है। रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखण्ड के देव पंचायत में वार्ड संख्या ०५ के केन्द्र का संचालन विद्यालय में तथा वार्ड संख्या ०७ एवं वार्ड संख्या ०३ के केन्द्र का संचालन सामुदायिक भवनों में किया जा रहा है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) प्रश्नगत किसी भी केन्द्र के लिये किसी प्रकार के किराया का भुगतान नहीं किया जाता है। भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का कार्य मनरेगा के अभियान से, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से तथा योजना एवं विकास विभाग को सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना/मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि के द्वारा भी आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराया जा सकता है। इस हेतु माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के द्वारा सभी माननीय विधान मंडल सदस्यों से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अपने क्षेत्र अन्तर्गत उक्त योजना के तहत केन्द्र भवन निर्माण हेतु अनुशंसा की जाये। उक्त आशय का पत्र सचिव, समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी निदेशालय के पत्रांक 442, दिनांक 20 फरवरी, 2023 से सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। प्रश्नगत आँगनबाड़ी के लिये भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध निदेशालय का पत्रांक 844, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से किया गया है।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर निर्धारित प्रक्रियानुसार चरणबद्ध रूप से केन्द्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

हॉस्टल बनाना

*2243. श्रीमती रशिम वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा में स्थित टीपी वर्मा कॉलेज में छात्रों के लिये हॉस्टल नहीं है, जिसके कारण वहाँ के मेघावी एवं गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है, जबकि उक्त परिसर में भूमि उपलब्ध है, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज में छात्रों के हॉस्टल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जांच कराना

*2244. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत लौधबाड़ी, फर्रांबाड़ी व अर्रांबाड़ी, पोस्ट-रायपुर, थाना-पहाड़कट्टा स्थित मदरसा संख्या 839, मदरसा इस्लामिया अनवारूल कुरान स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 12 अगस्त, 2021 को मदरसा प्रबंध समिति द्वारा आलीम मौलवी के तीन रिक्त पदों पर बहाली कर दिनांक 22 अगस्त, 2021 को अनुमोदन हेतु बिहार राज मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को भेज दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है मदरसा इस्लामिया अनवारूल कुरान के तीनों रिक्त पदों पर मदरसा प्रबंध समिति द्वारा बहाली में नियमों की अनदेखी कर अनियमितता बरती गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रबंध समिति द्वारा की गई बहाली में अनियमितता की जांच कराने संबंधी विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2245. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारन जिला के पानापुर प्रखंड स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बिजौली को अपना भूमि है परंतु विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवनहीन विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय समायोजन रद्द करना

*2246. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्धा (अ०जा०))---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्धा प्रखंड के खजुराहा पंचायत के भवरा कुसहा महादलित टोला में वर्ष 2021-22 में एन०पी०एस० स्कूल को खजुराहा उत्कमित विद्यालय में समायोजित किया गया है और जिसकी दूरी 5 कि० मी० है, जिससे महादलित परिवार के बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक एन०पी०एस० स्कूल को स्वतंत्र रूप से भवरा में ही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*2247. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))---क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखंड के डेरवां पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या 01 गोरा में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं होने से निर्धन एवं निम्न आय वर्ग के परिवार को योजनाओं का लाभ समर्थ नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु अर्हता के अनुरूप जमीन भी उपलब्ध हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्त्वीकारात्मक है। कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा परियोजना के ग्राम पंचायत डेरवां अन्तर्गत वार्ड सं 01 में सहजपुर (गोरा) आंगनबाड़ी केन्द्र कोड-121 किराये के मकान में संचालित है।

(2) स्वीकारात्मक है। आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये अंचलाधिकारी, कुदरा के द्वारा भूमि चिन्हित कर दी गयी है। उक्त केन्द्र हेतु भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चिन्हित भूमि का हस्तांतरण होने के उपरांत निर्धारित प्रक्रियानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराया जायेगा।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कार्रवाई करना

*2248. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में वर्ष 2020 में 7019, वर्ष 2021 में 7660 तथा वर्ष 2022 में 8719 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के पथों में अवैध कट, खतरनाक मोड़, सड़क किनारे निर्मित अवैध दूकानों, प्रमुख चौक चौराहों, अवैध डिवाइडर तथा 12 फीट 4 इंच वाली सड़कों का फलैंक 3-3 फीट करने के मामले में जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा कोई सूची तैयार नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2249. श्री अर्जीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के मगध विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय सहित सभी 13 विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2002 से वर्ष 2022 तक राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी राशि में से 400 करोड़ रुपये की राशि का न तो उपयोगिता प्रमाण-पत्र आजतक दिया गया और न ही अव्यवहृत राशि सरकार को लैटाई गयी जो वित्तीय अनुशासनहीनता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाने तथा शेष राशि नहीं लैटाने के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास को स्थानान्तरित करना

*2250. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के नगर निगम क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्लस टू बैजनाथ बालिका उच्च विद्यालय इसका अपना एक स्वतंत्र परिसर है जहाँ लड़कियाँ शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद किया करती हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि परिसर को अतिक्रमित कर अल्पसंख्यक लड़कों के लिये छात्रावास बनाया गया है जो बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय परिसर से अल्पसंख्यक लड़कों के छात्रावास को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों नहीं ?

विद्यालय भवन बनवाना

*2251. श्री विनोद नारायण झा (क्षेत्र संख्या-32 बेनीपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय, लखनौर में वर्ग 1 से 8 तक लगभग 800 छात्र एवं छात्रायें पढ़ती हैं, जिसका भवन क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण विद्यालय बंद के कागार पर पहुँच गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त माध्यमिक विद्यालय का भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*2252. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभुकों को राशि प्रदान की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड एवं दाड़दनगर प्रखंड में कई वर्षों से स्वीकृत आवेदन लम्बित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्षों से लम्बित स्वीकृत आवेदकों को राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

आवासीय विद्यालय बनाना

*2253. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे प्रखंड के अनुसूचित जाति/जन-जाति आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिये जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ नामांकन नहीं मिल पाने के कारण उक्त प्रखंड के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार किशनपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों का आवासीय विद्यालय कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलान्तर्गत राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय संचालित है।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की 50,000 से अधिक आबादी वाले वैसे प्रखंडों जिसमें ३०० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति शेष है, में एक-एक ७२० आसन वाले ३०० भीम राव अम्बेडकर १०+२ आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 19,719 एवं अनुसूचित जन-जाति की आबादी 531 है।

सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड में आवासीय विद्यालय निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नियुक्ति कराना

*2254. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, कोनन में रामचंद्र राम, शिक्षक की मृत्यु दिनांक । जनवरी, 2006 को हो गई थी, मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित पुत्र राणा रंजीत सिंह को आजतक अनुकम्भा के आधार नियुक्ति नहीं की गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव के ज्ञापांक 2118, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई को वर्ग 3 के पद पर अनुकम्भा के आधार पर योगदान संबंधी कार्याई सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना प्रशासन निदेशालय, शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जाता था, लेकिन इसके बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई द्वारा वर्ग 3 के पद पर तत्कालीन वेतनमान 3050-4590 में योगदान नहीं कराया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राणा रंजीत सिंह को वर्ग 3 के पद पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

इंजीनियर एवं संवेदक की मिलीभगत

*2255. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर प्रखंड बाजपट्टी के पचरा निमाही पंचायत में आधारभूत संरचना से विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन निर्माण कार्य में निम्न स्तरीय बालू, सीमेंट एवं ईंट का उपयोग किया गया है जो गुणवत्ता प्राक्कलन के विरुद्ध इंजीनियर एवं संवेदक के मिलीभगत से कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने की दिशा में विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2256. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधाम)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर प्रखंड कोचाधाम के काठामाठा पंचायत स्थित +2 स्तरीय उच्च विद्यालय, धनपतगंज में खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत स्थित +2 स्तरीय उच्च विद्यालय, धनपतगंज में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनवाना

*2257. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत सिसवन प्रखंड के ग्राम-चैनपुर में सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय का भवन जर्जर एवं अवस्थ हो चुका है, जिससे छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित जर्जर स्कूल भवन के जगह नया भवन बनवाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, हाँ, तो क्यों ?

शिक्षक की प्रतिनियुक्ति

*2258. डॉ निकंकी हेम्प्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड में कन्या मध्य विद्यालय, कटोरिया में कक्षा 1 से 8 तक कुल नामांकित 429 छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक कार्य हेतु मात्र 4 शिक्षक हैं जबकि 1 शिक्षक की प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय से किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने हेतु शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण करना

*2259. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अन्तर्गत प्रखंड कोटवा के गोपी छपरा पंचायत के अन्तर्गत बेतिया बसंत गोपी छपरा, मुसहरी टोला, वार्ड नम्बर 8, महादलित बस्ती में थाना नम्बर 28, खाता नम्बर 844/01, 814/14, खाता 844/03, 814/02 गैर-मजरुआ आम भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महादलित बस्ती में वर्णित जमीन का विवरणी अंचलाधिकारी, कोटवा से जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक 734, दिनांक 7 जुलाई, 2022 द्वारा मैंग की गई थी, जिसकी सूचना अभीतक अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित महादलित/दलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय में बढ़ोतरी करना

*2260. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को मात्र 1,650 रुपये प्रतिमाह मानदेय दी जाती है, जबकि केरल, उत्तर प्रदेश 2,000, झारखंड 2,000, पंजाब 3,000, आनंद प्रदेश 3,000 एवं हरियाणा में 7,000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रयोजित योजना है। रसोइया-सह-सहायक का कार्य अंशकालीन (Part Time Worker) मानते हुये मानदेय दिया जाता है।

भारत सरकार द्वारा रसोइया-सह-सहायक को 1,000 रुपया प्रतिमाह की दर से मानदेय निर्धारित किया गया है। इसमें केन्द्रांश की राशि 600 रुपया मात्र एवं संगत राज्यांश की राशि 400 रुपया है। राज्य योजना मद से 650 रुपया राज्य भत्ता के रूप में बढ़िद्ध की गई है। इस प्रकार प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइया-सह-सहायकों को प्रतिमाह 1,650 रुपया मासिक मानदेय के रूप में भुगतान किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रयोजित योजना है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रांश की बढ़ोतरी के लिये केन्द्र सरकार को अनुरोध किया जाता रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि की बढ़ोतरी की स्थिति में राज्य सरकार संगत राज्यांश देने हेतु प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार के स्तर से सम्प्रति इसपर तुरंत बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में अध्यापकों की कमी

*2261. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में अध्यापकों की कमी रहने के कारण विद्यार्थियों का पठन-पाठन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के लिये राज्य मौत्रिपरिषद् द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के 150 पद स्वीकृत हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

विद्यालय का उत्कर्षण

*2262. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत ठेरा गाँव में एक मध्य विद्यालय स्थित है, परंतु इंटर विद्यालय नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि ठेरा गाँव ठेरा पंचायत का मुख्यालय है जबकि म0 बि0 ठेरा में इंटर विद्यालय हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक मध्य विद्यालय, ठेरा को इंटर विद्यालय में उत्कर्षण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

स्टेडियम का निर्माण

*2263. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परवता)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खण्डिया जिलान्तर्गत परबता विधान सभा क्षेत्र में परबता प्रखंड के उच्च विद्यालय, कन्हैयाचक और गोगरी प्रखंड के कबीर भगवान उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने से छात्र/छात्राओं और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों जगहों पर कार्य आरंभ कर छोड़ दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से प्रतिभावना खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा कुर्तित हो रही है, स्टेडियम एवं संसाधनों के अभाव में यहाँ के खिलाड़ी अपना जाँहर नहीं दिखा पाते हैं;

(4) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं और युवाओं के हित में स्टेडियम का निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

जीणोंद्वार करना

*2264. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिव्यावारा प्रखण्ड एवं नगर पंचायत के जयगाविन्द उच्चतर (+2) विद्यालय, दिव्यावारा के कई कमरों के छत एवं मुख्य हाँल जर्जर हैं, जिसके कारण छात्र/शिक्षक कभी भी दुर्घटना का शिकाया हो सकते हैं एवं चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के मुख्य हाँल, चहारदीवारी एवं कमरों का जीणोंद्वार कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय बस चलाना

*2265. श्री गमविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)---क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रमंडल मुख्यालय, सहरसा से भाया पंचगछिया, नवहट्टा, बैरो, नुपुण्टी, सुखपुर, कर्णपुर, सुपौल से भागलपुर एवं पटना तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन नहीं किये जाने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को राजधानी आने में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर राजकीय बस चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री---बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से प्राप्त पत्रांक 678, दिनांक 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रमंडल मुख्यालय, सहरसा से पटना तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस का परिचालन किया जा रहा है।

निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है। बस बेड़े में बसों की वृद्धि होने पर प्रमंडल मुख्यालय, सहरसा से भाया पंचगछिया, नवहट्टा, बैरव, नुपुण्टी सुखपुर, कर्णपुर, सुपौल से भागलपुर मार्ग पर निगम बसों से परिचालन हेतु विचार किया जायेगा।

विद्यालय यूनिट को वापस करना

*2266. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड मदनपुर के ग्राम पंचायत पीपौरा के ग्राम-उचैली टोला, विलासपुर में 2012 से 2018 तक पढ़ाई हुयी थी, परंतु स्कूल भवन नहीं होने से यूनिट किसी दूसरे स्कूल कन्या मध्य विद्यालय, उचैली में चली गयी, जिसकी दूरी 05 किमी० है, जिस कारण उचैली टोला, विलासपुर के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जबकि उक्त विद्यालय के पास पर्याप्त जमीन है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उचैली टोला, विलासपुर में यूनिट को वापस लाने के साथ-साथ भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2267. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचटटी (अ०जा०))---क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बाराचटटी में उच्च विद्यालय, बेलारपुर, उच्च विद्यालय, मुसौली तथा उच्च विद्यालय, धनगाई का 2 वर्ष पूर्व भवन निर्माण हेतु टैंडर हो चुका है परंतु आजतक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालयों के शिक्षा विभाग द्वारा उच्च विद्यालय की श्रेणी में शामिल कर लिये जाने के बाद छात्रों का नामकरण एवं परीक्षाएँ ली जा रही है, किन्तु भवन के अभाव में सिर्फ पठन-पाठन के नाम से खानापूर्ति की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारम्भ करना

*2268. श्री इजहारुल हूसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)---क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज मुख्यालय से

ठाकुरगंज, गलगलिया होते हुये सिल्लीगुड़ी तक सरकारी बस सेवा नहीं होने के कारण लोगों का सिल्लीगुड़ी आने-जाने एवं व्यवसाय करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मुख्यालय से ठाकुरगंज, गलगलिया होते हुये सीधे सिल्लीगुड़ी के लिये बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का सौंदर्योकरण

'ख'-*2269. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा बस स्टैंड, दिल्ली मोड़ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बस स्टैंड में कोई सुविधा नहीं रहने के कारण रात्रि में दूर से आये हुये यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बस स्टैंड का सौंदर्योकरण के साथ-साथ यात्रियों के लिये सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस डिपो बनाना

*2270. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड राजपुर में बस डिपो नहीं होने से बाजार में जाम लगा रहता है, जिससे आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखण्ड राजपुर में जमीन का अधिग्रहण कर बस डिपो बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*2271. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखण्डान्तर्गत बोबिल पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय, बोबिल फुलवड़िया को वर्ष 2016 में उत्क्राति +2 विद्यालय किया गया है परन्तु इस विद्यालय में +2 स्तर के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी सहित अन्य विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उत्क्रमित +2 विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी सहित अन्य विषयों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2272. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेलहर विधान सभा के अन्तर्गत फुमलीडुमर प्रखण्ड के पंचायत राता, तेलिया पहाड़, राता के ग्राम-कदबारा, दक्षिणी कोझी, दक्षिणी कोझी के ग्राम-कुशहा, राता के ग्राम-धनकुठिया, राता के ग्राम-गाठीराता एवं फुमलीडुमर में विद्यालय भवन के लिये स्वीकृति दिनांक 20 जून, 2023 को दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वीकृति मिलने के बावजूद भी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण छात्रों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट— 'ख'- परिवहन विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

भवन निर्माण कराना

*2273. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र के झंझारपुर प्रखण्ड में वर्ष 2019 में भयंकर आढ़ में विलीन हुये प्राथमिक विद्यालय उसराहा, नरूआर तथा लखनौर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत दीप (पश्चिमी) में प्राथमिक मकान, दीप के जर्जर भवन का निर्माण नहीं किया जाने से पढ़ाई कार्य पूरी तरह बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक है जिसे खुले आकाश में जमीन पर बैठकर पढ़ने की विवशता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय उसराहा नरूआर एवं प्राथमिक मकान, दीप का भवन निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान

*2274. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि है सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखण्ड के ग्राम बारा, पो०-मंझोरा निवासी भूटा राय के पुत्र स्व० गोविन्द कुमार की मृत्यु दिनांक 31 मई, 2021 को पुपरी प्रखण्ड के बलहा मकानदान में मोटरसाइकिल और श्री छोलर के सीधी टक्कर में हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रकार की सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मृतक की मां श्रीमती सुन्दरी देवी के द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि मुहैया कराने हेतु अंचल पदाधिकारी, पुरी के कार्यालय को साक्ष्य सहित आवेदन दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक स्व० गोविन्द कुमार के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय का निर्माण

*2275. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिले के गुरुआ प्रखण्ड के नवाबचक गांव में स्मरणीय श्री नागेश्वर सिंह के स्मारक के समाप्त एक पुस्तकालय का निर्माण दो वर्ष पूर्व से ही विधायक फँड से कराया जा रहा था परन्तु अभीष्टक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार विलम्ब करने वाले संवेदक पर कार्रवाई करते हुये उक्त पुस्तकालय का निर्माण कबतक पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2276. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पृष्ठीय जिलान्तर्गत भवानीपुर प्रखण्ड के मध्य विद्यालय, बभनचबका सुपौली में भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसमें लगभग 1000 छात्र/छात्रा पठन-पाठन करते हैं को कठिनाई होती है, भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2277. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, कला संस्कृति युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बैशाली जिलान्तर्गत प्रखण्ड पातेपुर के श्री रामचंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल मैदान स्टेडियम निर्माण की सारी अहंताओं को पूरा

करता है, जिसकी स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी वैशाली से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक 507, दिनांक 09 मार्च, 2021 द्वारा की गई थी प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद भी स्टेडियम का निर्माण अभीतक नहीं हो पाया, यदि हाँ, तो सरकार कबतक स्वीकृति प्रस्ताव के आलोक में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*2278. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपेंटी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपेंटी प्रखण्ड के गैशनपुर, हरदेवचक, ईशपुर, रानीदियाग उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र/छात्राओं में अनुपात में शिक्षक नहीं हैं, जिससे छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, जबकि सरकारी नियमानुसार छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*2279. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 विहारीगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मध्यपुरा जिला के विहारीगंज विधान सभा में मुरलीगंज प्रखण्ड के रुचनाथपुर पंचायत के भेलाही गांव वार्ड नं० 07 के सीती देवी, पति-शिव कुमार पासवान की मृत्यु दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 को रात्रि 8 बजे एस०एच० 91 पर भेलाही के पास हो गयी थी, जिसका कांड संख्या 455, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 दर्ज है, परन्तु मृतक के आश्रित को अभीतक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा खोलना

*2280. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखण्ड के सलथुआं पंचायत के डंगरी गांव में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या काफी है परन्तु मदरसा के नहीं है जिसके कारण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पढ़ाई से बांचत रहना पड़ता है जबकि सरकार प्रदेश में मदरसा शिक्षा पर काफी जोड़ दे रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत उक्त गांव में मदरसा खोलने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*2281. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखण्ड राजनगर के मध्य विद्यालय, केवलपट्टी, मंगरीनी गोठ, पिलखावाड़ भरिया विष्णपुर, परिहारपुर को उच्च विद्यालय में उत्कमित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त उच्च विद्यालय में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*2282. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौडाबौराम प्रखण्ड अन्तर्गत चतरा गांव के पूर्वी टोल में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार चतरा पूर्वी टोल में नवसूचित प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोदार कराना

*2283. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विहार राज्य के दरभंगा स्थित जाले प्रखण्ड अन्तर्गत लगभग 300 वर्ष पुरानी लोक आस्था एवं अद्भूत निर्माण कला युक्त ऐतिहासिक स्थल अहिल्यास्थान में स्थित राम दरबार मन्दिर के स्मारक के मेहरावदार छिड़की एवं मन्दिर स्थापत्य के सरंचना में दरर आ गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मन्दिर के संरक्षण एवं जीर्णोदार हेतु निदेशक, पुरातत्व विहार ने जिला पाराधिकारी, दरभंगा से अपने ज्ञापाक 293, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार करवाकर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का पत्र प्रेषित किया था परन्तु अभीतक उक्त ऐतिहासिक अहिल्यास्थान में अवस्थित राम दरबार मन्दिर का जीर्णोदार नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुरातात्त्विक स्थल का जीर्णोदार करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2284. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि परिचम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा विधान सभा के ग्राम पंचायत राज चमवलिया के प्राथमिक विद्यालय, गुरवलिया के प्राथमिक विद्यालय, गुरवलिया का भवन जर्जर स्थिति में है, अत्यंत जर्जर भवन में ही बच्चों का पठन-पाठन कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर भवन का निर्माण कराना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2285. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-8। अलीनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखण्ड में एक भी स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा है ;

(3) यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अलीनगर प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्कशेड-सह-सामुदायिक भवन का निर्माण

'ग'--*2286. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा राज्य के सभी दलित एवं महादलित टोलों में वर्कशेड-सह-सामुदायिक भवन का निर्माण कराने की योजना संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-सुमका मांझी टोला, ग्राम-ऐकनी मांझी टोला एवं ग्राम-बौरा मांझी टोला में वर्कशेड-सह-सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महादलित टोलों में वर्कशेड-सह-सामुदायिक भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्कूल खोलना

*2287. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के प्रखण्ड रजौली, स्थित फुलवरिया डेम के चारों ओर बसे ग्राम-सिंगर, मेरमों, धानेखाप, सुअरलेटी, कुम्भयातरी और खिड़किया पंचायत हरदिया तथा डेम से परिचम तरफ ग्राम-परतौनिया पीपरा, चोरडीहा, ढलवा, जमुदाही, भराही एवं नावाडीह में आजतक विधिवत् रूप से शिक्षा की सुविधा हेतु स्कूल नहीं है और बच्चों को पहाड़ पारकर सुदूर क्षेत्र तक स्थित एक दो स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त ग्रामों के दलित/महादलित गरीब परिवारों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल खोलने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'ग'-समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

३४ भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*2288. श्री युमफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बजिलयारपुर) — क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत उटेश्वर पंचायत, मोरकाही गांव के वार्ड नं० । में स्थित प्राथमिक विद्यालय जहाँ दलित एवं महादलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जो जर्जर स्थिति में है, यहाँ तक कि विद्यालय में शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है और बारिश के मौसम में भवन जर्जर होने के कारण विद्यालय की छत से पानी टपकता है, यदि हाँ, तो सरकार विद्यालय के नये भवन चहारदीवारी एवं शौचालय का निर्माण करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियकित करना।

*2289. श्री अखतरलूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)---वया मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निवारण विभाग, यह बतलाने को कपा कर्यांकिति--

(1) क्या यह भी बता सकते हैं कि विभाग के पत्रांक 4/एम-1-34/2016-1035, दिनांक 16 मार्च, 2017 के आलोक में सभी जिला अवर निवंधक/अवर निवंधक को पत्र लिखकर उर्दू में दिये गये दस्तावेजों को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था :

(2) क्या यह बात सही है कि उद्दृ अनुवादक एवं कार्यपालक सहायक के अभाव में उद्दृ में दिये गये दस्तावेजों को अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिस कारण लोगों को निवेदन कार्य कराने में बड़ी कठिनाई हो रही है :

(3) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उर्दू अनुवादक/कार्यपालक सहायक की नियुक्ति अवश्यक नहीं करने का क्या औचित्य है?

राजस्व की वस्त्रली

*2290. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल बिहारी सिंह (कात्र संख्या-221 नवीनमर) - क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बललालन की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के अम्बा प्रखण्ड अन्तर्गत महाराजगंज झारखण्ड गांव का सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ से झारखण्ड के पलाम से पश्चिम पर्वत अन्न खनिज विद्युत में आते हैं ?

(2) क्या यह बात सही है कि एक प्रधान स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा कोई चेकपोस्ट का निर्माण नहीं करने के कारण असरलोड ट्रकों से कोई गंभीर कौशल नहीं जाता है ?

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारणमत्क हैं, तो सरकार अवधि ओवरलोड गाड़ियों से ग्रजस्व बसली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक

(2) अस्त्रकारात्मक। औरगावाड़ जिला के कुटम्बा प्रखण्ड अन्तर्गत महाराजांग, झारखण्ड गन्य का सीमावर्ती क्षेत्र है। उस स्थान पर कोई चेकपोस्ट नहीं है, किन्तु झारखण्ड से आने वाले सभी वाहनों का नियमित जाँच किया जाता है एवं ओवरलाउड वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित) के सम्बंध धाराओं के तहत शमन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जाँच किये गये वाहनों में से कुल 542 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध ₹ 3,44,06,660/- (तीन करोड़ चौहालीस लाख रुपये) हजार रुपये से साठ रुपये) तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक जाँच किये गये वाहनों में से कुल 377 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध ₹ 3,47,90,014/- (तीन करोड़ सैंतालीस लाख नब्बे हजार चौदह रुपये) शमन अधियोगित किया गया है।

(3) कॉटिका (2) के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

विद्यालय कमरा का निर्माण

*2291. श्रीमती बीणा सिंह (अंत्र संख्या-129 महानार) - क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलानार्थी महानार नगर निगम अनार्थी वार्ड नं० 24 के इशाकपुर टेक में एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है, जो एक रूम का है वो भी जर्जर स्थिति में है जो किसी भी समय गिर सकता है जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में नये कमरे बनवाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

पटना :
दिनांक 21 मार्च, 2023 (₹५०)

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना